सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

फाइल क्रमांक **GCG/7/2017/STGUP/SEOTH/RU-I** दिनॉक 03/05/2018

सेवा में,

जिला अधिकारी,
जिला चंदौली,
चंदौली - 232104।
उत्तर प्रदेश।

विषय: श्री गुलाब चंद गोंड, प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय गोंड महासभा, ग्राम - महेसुया, पोस्ट-नई बाज़ार, सकाल्डीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा चंदौली जिले में गोंड जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को जिला स्क्रूटिनी कमिटी / जिलाधिकारी द्वारा ख़ारिज़ करने और गोंड को पिछड़ी जाति में घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसूईया ऊईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनॉक 12/04/2018 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत।

महोदाय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 12/04/2018 को आयोग के माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया ऊईके के समक्ष हुई सिटिंग के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजी जा रही हैं। अनुरोध है की कार्यवृत पर राज्य सरकार द्वारा की गयी / की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को आविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 011-24641640

प्रतिलिपि कार्यवृत की प्रति सहितः

1 श्री गुलाब चंद गोंड,
राज्य सचिव,
अखिल भारतवर्षीय गोंड,
महासभा विधायक निवास-3 ओल्ड,
38 ओ सी आर, हुसेन गंज,
लखनऊ उत्तर प्रदेश।

2 एनआईसीई, एनसीएसटी को आयोग की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- GCG/7/2017/STGUP/SEOTH/RU-I)

श्री गुलाब चंद गोंड, प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय गोंड महासभा, ग्राम- महेसुआं, पोस्ट- नई बाजार, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा चंदौली जिले मे गोंड जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जिला स्क्रूटनी कमिटी / जिलाधिकारी द्वारा खारिज करने और गोंड को पिछड़ी जाति मे घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 12.04.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री गुलाब चंद गोंड, प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय गोंद महासभा, ग्राम- महेसुआं, पोस्ट- नई बाजार, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश ने चंदौली जिले मे गोंड जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जिला स्क्रूटनी कमिटी / जिलाधिकारी द्वारा खारिज करने और गोंड को पिछड़ी जाति मे घोषित करने के मामले में आयोग को दिनांक 07.10.2017 को अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदन मे लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले मे गोंड अनुसूचित जाति मे सूचीबद्ध है। चंदौली जिले के बरईपुर गाँव परगना महुआरी, तहसील सकलड़ीहा के रामकृत गोंड के साथ वहाँ के दबंगों द्वारा मारपीट की गई। इस पर विपक्षियों के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। किन्तु इस धारा से बचने के लिए विपक्षियों द्वारा षड्यंत्र करके गलत तथ्यों तथा बिना किसी अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार सकलड़ीहा द्वारा गोंड जाति के व्यक्ति को भड़भूजा लिखा गया जो पिछड़ी जाति मे सूचीबद्ध है। यह मामला जिला स्क्रूटनी कमिटी के पास गया। कमिटी ने बिना आवेदक पक्ष को सुने गोंड जाति के व्यक्ति को भड़भूजा पिछड़ी जाति मे घोषित कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के आदेश तथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अंतर्गत गोंड जाति को अनुसूचित जाति के क्रम संख्या 36 पर रखा गया है।

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दिनांक 24.10.2017 को एक नोटिस भेज कर जिला कलेक्टर, चंदौली से 15 दिन के अंदर जानकारी मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे कोई जवाब नही आया। इस बीच अभ्यावेदक ने आयोग से दुबारा न्याय दिलाने हेतु निवेदन किया।
4. आयोग ने अभ्यावेदक के रिज्वाइनडर पर विचार कर जिला कलेक्टर, चंदौली को दिनांक 26.03.2018 को नोटिस भेजकर आयोग में दिनांक 12.04.2018 को चर्चा के लिए बुलाया।
5. बैठक मे चर्चा के लिए दिनांक 12.04.2018 को जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, चंदौली उपस्थित हुए ।
6. आयोग ने मामले में अभ्यावेदक से अपना पक्ष रखने को कहा, तब अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि चंदौली जिले मे जिला स्क्रूटनी कमिटी द्वारा गोंड जाति को बिना किसी अभिलेखीय साक्ष्य के षड्यंत्र पूर्वक पिछड़ा वर्ग मे घोषित किया गया है। यह शासनादेश का उल्लंघन है।
7. आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, चंदौली से इस मामले मे जानकारी मांगी तब जिला समाज कल्याण अधिकारी, चंदौली आयोग के किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नही दे पाये।
8. आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का परीक्षण करने पर यह पाया कि जिला स्तर पर इसमे अनियमितता बरती गई है। केवल तहसीलदार या किसी अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण नही किया जा सकता है। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। चूंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आयोग के किसी भी प्रश्न का प्रासंगिक और संतोषजनक उत्तर नही दे पाये अतः आयोग इस मामले मे जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से आयोग मे बुलाकर इस विषय मे चर्चा करना चाहता है। इसके लिए अगली तिथि निर्धारित कर सूचना भेजा जाना प्रस्तावित है। आयोग इस मामले मे अनुशंसा करता है कि जिला कलेक्टर तत्काल इस मामले मे जांच करे जिसमे अनियमितता उजागर हो सके। साथ ही अभ्यावेदक साक्ष्य सहित जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करें और इस पर नियमानुकूल समुचित जांच कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय। इस मामले मे जिला कलेक्टर प्रगति रिपोर्ट/ अन्तरिम रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग को भिजवायें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- GCG/7/2017/STGUP/SEOTH/RU-I)

श्री गुलाब चंद गोंड, प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय गोंड महासभा, ग्राम- महेसुआं, पोस्ट- नई बाजार, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा चंदौली जिले मे गोंड जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जिला स्क्रूटनी कमिटी / जिलाधिकारी द्वारा खारिज करने और गोंड को पिछड़ी जाति मे घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
5. श्री एच.आर. मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी

1. श्री महेंद्र यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चंदौली

अभ्यावेदक

1. श्री गुलाब चंद गोंड एवं अन्य